FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0031 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/07/2023 07:07 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	IPC 1860	467
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/07/2023 **Time (समय):** 04:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/07/2023 06:54 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 90 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): कनीना जिला महेन्द्रगढ,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** ISHWER SINGH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 10/04/1967 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9416381286

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	डा0 शेखर प्रदीप चिकित्सा अधिका			1. स्वास्थ्य केन्द्र कनीना जि0 म0, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	हंसराज कपूर		Father's Name: श्री बल्लुराम	1. 180/13,मोहल्ला कसाबान नजदीक तेलियापुल, HISAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)**

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में, थाना प्रबन्धक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम । श्रीमान जी,

1.1 निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 21.08.2020 नारनौल श्रीमान मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 49/01/2017-4 चौ0(1) दिनांक 21.08.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 5857/आई0-3/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 21.08.2020 के अनुसार पडताल हेतु गुरूग्राम मण्डल में प्राप्त हुई थी ।

1.2 जांच के आरोप में वर्णित है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनीना को वित्त वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा एन0आर0एच0एम0 शाखा की तरफ से 27,79,255/-रूपये, प्रतिरक्षण शाखा से 2,36,979/- रूपये, प्रशिक्षण शाखा से 1,16,840/- रूपये तथा टी0एफ0सी0 शाखा से 16,98,333/- रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया था । इसके अतिरिक्त सामु0 स्वा0 केन्द्र, कनीना के पास ओपनिंग बैलेंस 2,37,973/- रूपये उपलब्ध थे । वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विभाग द्वारा कुल 50,69,380/- रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया था । डा0 शेखर प्रदीप, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनीना द्वारा उक्त राशि को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनीना में सामान खरीद के लिये खर्च किया गया था । जांच की पडताल के दौरान उपरोक्त राशि के खर्च के रिकार्ड का अवलोकन चार स्दस्यीय जांच कमेटी जिसमे 1 डा0 अरूण कालरा उप सिविल सर्जन नारनौल 2. डा0 अशोक कुमार उप सिविल सर्जन (क्षय रोग) नारनौल 3. श्री नित्यानन्द लेखा सहायक कार्यालय एन0आर0एच0एम0 नारनौल 4. सुश्री खुशबु गर्ग जिला लेखा प्रबन्धक कार्यालय एन0आर0एच0एम0 नारनौल द्वारा किया गया और पाया गया कि खर्च नियमानुसार नही किया गया तथा काफी मात्रा मे बिल भी फर्जी बनवाये गये है । किसी भी प्रकार के रिकार्ड जैसे कैश बुक, स्टाक रजिस्टर, ए0आर0 रजिस्टर, वाउचर बिलो का रख रखाव ठीक नही पाया गया । अधिकारी द्वारा जो भी सामान खरीदा गया/करवाया गया वह बाजार भाव से दो से तीन गुणा अधिक भाव से करवाया गया । अधिकारी ने टी0एफ0सी0 बजट मे दिये गये 16,98,333/ रूप्ये मे से 11,13,971 रूप्ये अन्य सामान की खरीददारी मे खर्च कर दिये, जिनकी कोई डिमाण्ड व आवश्यकता नही थी । अधिकारी द्वारा 7,46,959/ रूप्ये की खरीददारी मै0 अम्बाला सैन्ट्रल कॉप्रेटिव कन्जयुमर स्टोर लि0 से की गई । जो हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 6/03/2007-4 आई0बी0-II दिनांक 14.02.2008 के तहत इस प्रकार की खरीद के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान नही है । इस खरीद मे अधिकारी द्वारा सभी नियमो की अनदेखी की है व इस फर्म से जो भी सामान खरीदा गया है । वह बाजार से दो से तीन गुणा अधिक रेटस पर खरीदा गया है । सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र कनीना की बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार इस फर्म के चैक हिसार शाखा पर कैश हुये है । जबकि बिलो के अनुसार उक्त फर्म अम्बाला मे स्थित है । इस प्रकार इस खरीद मे फर्जी बिल/फर्जी फर्म की सम्भावना प्रतीत होती है । अधिकारी द्वारा काफी मात्रा मे एडवांस स्वंय निकासी की हुई है । जिसका कोई हिसाब किताब तथा बिल बाउचर उपलब्ध नही है । इस प्रकार की निकासी की हुई राशि का गबन प्रतीत होता है । नियमानुसार स्वास्थ्य कल्याण समिति के चैक पर दो अधिकारीयो के हस्ताक्षर किये जाते है । ताकि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा सरकारी धन का दुरूप्योग ना किया जा सके । परन्तु इस नियम की पूर्णतया अवहेलना करते हुये डा0 शेखर प्रदीप ने उपरोक्त सभी राशि की अदायगी केवल अपने हस्ताक्षर से की गई है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना को जिन कार्यो के लिये बजट खर्च करने की अनुमति दी गई थी, अधिकारी द्वारा उन कार्यो मे खर्च ना करके अन्य कार्य/खरीद मे बजट का दुरूपयोग किया गया है । सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र कनीना मे माह दिसम्बर 2012 मे लेखा सहायक श्री धीरज कुमार की नियुक्ति की गई थी, जिससे लेखा सम्बन्धित कार्य लिया जाना था परन्तु अधिकारी ने लेखा सहायक से लेखा कार्य ना करवाकर श्री पवन कुमार सूचना सहायक से लेखा सम्बन्धित कार्य करवाया ताकि डा 0 शेखर प्रदीप अपने अनुसार बिना किसी रूकावट के अपने कार्य को अन्जाम दे सके । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना मे चालक की नियुक्ति ना होते हुये भी उस समय के काफी पी0ओ0एल0 के बिल पास किये हुये है । जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि चालक की अनुपस्थिति मे अधिकारी द्वारा सरकारी वाहन का दुरूप्योग किया गया या फर्जी बिल पास किये गये है ।

1.3 जांच की पडताल के दौरान प्राप्त कथनो व प्रलेखो के आधार पर सिद्व होता है कि दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी

उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना को वर्ष 2013 में बिल न0 23067 dt. 01.01.2013, 23068 dt. 02.01.2013, 23069 dt. 03.01.2013, 23071 dt. 05.01.2013, 23074 dt. 07.01.2013, 23075 dt. 08.01.2013, 23076 dt. 09.01.2013, 23077 dt. 10.01.2013, 23087 dt. 09.01.2013, 23085 dt. 10.01.2013, 23084 dt. 14.01.2013, 23814 dt. 15.01.2013, 23815 dt. 15.01.2013, 23816 dt 15.01.2013, 23818 dt. 15.01.2013, 23819 dt. 16.01.2013, 23820 dt. 19.01.2013, 23801 dt. 14.01.2013, 23834 dt. 05.02.2013, 23835 dt. 05.02.2013, 2350 dt. 05.02.2013, 23889 dt. 02.03.2013, 23890 dt. 02.03.2013 के अनुसार सप्लाई किये गये सामान के बिल देने पाये गये है । उक्त दर्शाये गये बिल "दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0" चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ से प्राप्त सूचना के अनुसार दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ के होने नहीं पाये गये है । इन सभी बिलों का इन्द्राज सेल-परचेज रजिस्टर में भी नही है और उपरोक्त बिलों के माध्यम से कोई सामान व उपकरण वर्ष 2013 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना को सप्लाई नही किया गया तथा बिल फर्जी तैयार करने पाये गये है ।

1.4 डा0 शेखर प्रदीप द्वारा चैक न0 033909 dt. 02.01.2013 राशि 44247 रूपये , 033911 dt. 03.01.2013 राशि 52185 रूपये, 033913 dt. 04.01.2013 राशि 49980 रूपये, 033915 dt. 05.01.2013 राशि 50400 रूपये, 033916 dt. 08.01.2013 राशि 31500 रूपये, 033918 dt. 08.01.2013 राशि 31500 रूपये, 033919 dt. 09.01.2013 राशि 44100 रूपये, 033920 033922 dt. 11.01.2013 राशि 79800 रूपये, 033923, 033924 033925 dt. 19.03.2013 राशि 1,09,399 रूपये, 033926 dt. 22.01.2013 राशि 36750 रूपये, 033928 dt. 23.01.2013 राशि 7400 रूपये, 033932 033933 dt. 30.01.2013 राशि 73269 रूपये, 033936 033937 dt. 07.02.2013 राशि 86625 रूपये व 033953 033955 dt. 05.03.2013 राशि 57204 रूपये H.R. KAPOOR के नाम पर जारी करने पाये गये है । दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ के खाता सं0 55106044940 व ह0र0को0 बैंक 20 डी चण्डीगढ के खाता सं0 261/00053500100003 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना से कोई राशि जमा होनी नहीं पाई गई । दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ की कोई भी शाखा हिसार में नही है तथा ना ही दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ का कोई खाता हिसार के किसी बैंक में है । उपरोक्त चैक H.R. KAPOOR के खाता न0 10214762327 S.B.I रेलवे रोड हिसार में कैश होने पाये गये है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि डा0 शेखर प्रदीप द्वारा दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ से कोई सामान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना के लिये नही खरीदा गया है जो दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ के नाम से हंसराज कपूर पुत्र श्री बल्लुराम जाति पंजाबी वासी मकान न0 180/13, मोहल्ला कसाबान नजदीक तेलियापुल हिसार से मिलीभगत करके उपरोक्त दर्शाये गये उपरोक्त चैको की कुल राशि 7,54,359 रूपये के फर्जी बिलों की एवज में डा0 शेखर प्रदीप द्वारा जारी करने पाये गये है ।

1.5 जांच की पडताल के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना की वर्ष 2013 में हुई ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की गई जो आडिट रिपोर्ट के अनुसार जो अनियमितायें पाई गई वो TFC Budget of Rs. 11,02,000 used in another works rather than TFC, Cash book is useless as prepared on single Entry System basis, Maximum transactions done by withdrawing cash by concerned Medical officer at that time, No proper maintenance of Account Books and Vouchers Sanction of more than Rs.. 50,000 has been given by Medical officer तहरीर किया हुआ है इसी आडिट रिपोर्ट के आधार पर सिविल सर्जन नारनौल द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में मुख्य रूप से पाया था कि तत्कालीन प्रभारी डा0 शेखर प्रदीप द्वारा सभी लेन-देन केवल स्वयं के हस्ताक्षर से ही किये गये थे जबकि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के खाते से लेन-देन के लिये दो अधिकारियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं एवं अधिकतर खरीदारी के लिये कोई भी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नही थे । सामु0 स्वा0 केन्द्र, कनीना को वित्ता वर्ष 2012-13 में विभाग द्वारा एन0आर0एच0एम0 शाखा की तरफ से 27,79,255/-रूपये प्रतिरक्षण शाखा से 2,36,979/- रूपये, प्रशिक्षण शाखा से 1,16,840/- रूपये तथा टी0एफ0सी0 शाखा से 16,98,333/- रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया था । इसके अतिरिक्त सामु0 स्वा0 केन्द्र, कनीना के पास ओपनिंग बैलेंस 2,37973/- रूपये उपलब्ध थे । इस प्रकार सामु0 स्वा0 केन्द्र, कनीना को वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विभाग द्वारा 2210 मद (स्टेट बजट) के अलावा कुल 50,69,380/- रूपये का बजट उपलब्ध करवाया गया था ।

1.6 विभागीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार डा0 शेखर प्रदीप तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना को वर्ष 2012-2013 में अलॉट किये बजट का दुरूपयोग करना पाया गया है । डा0 शेखर प्रदीप,

चिकित्सा अधिकारी ने वित्त वर्ष 2012-13 में सामु0 स्वा0 केन्द्र, कनीना मे प्रभारी रहते हुये बजट में व लेखा सम्बन्धित कार्य में अनियमितता की है । जो जांच के दौरान फर्मो के बडे बिलों की तस्दीक की गई है तथा इसके अलावा दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भन्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी0 चण्डीगढ के नाम से तैयार किये गये 20 बडे बिलों की तस्दीक की गई है जो दी अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि0 चण्डीगढ सै0 20 डी के नाम के 20 बडे बिल फर्जी पाये गये है तथा इन फर्जी बिलों की एवज में उपरोक्त चैक डा0 शेखर प्रदीप ने हंसराज कपूर वासी हिसार से मिली भगत करके उसके खाता सं0 10214762327 S.B.I रेलवे रोड हिसार में कैश कराकर सरकारी राशि का गबन किया है । जो जांच की पडताल से धारा 409, 420, 467, 468, 471 120-बी भा0द0स0 तथा 13 (1) C, 13 (2) पी0सी0 एक्ट का अपराध घटित होना पाया गया ।

1.7 जांच अधिकारी ने डा0 शेखर प्रदीप, चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना व हंसराज कपूर पुत्र श्री बल्लुराम जाति पंजाबी वासी मकान न0 180/13, मोहल्ला कसाबान नजदीक तेलियापुल हिसार के विरूद्ध धारा 409,420,467,468,471 120-बी भा0द0स0 तथा 13 (1) C, 13 (2) पी0सी0 एक्ट के अर्न्तगत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया है । अनुसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति या किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी की मिलीभगत पाई जाये तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया गया है । आरोपियों का यह कृत्य Ex-Facie Criminal Nature का है । मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 49/01/2017-4 चौ:(I) दिनांक 16.06.2023 व श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला के पृष्ठ क्रमांक 10669/आई0-2 /भ्र0नि0ब्यूरो0 (ह0) दिनांक 19.06.2023 के अनुसार डा0 शेखर प्रदीप, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कनीना व हंसराज कपूर पुत्र श्री बल्लुराम जाति पंजाबी वासी मकान न0 180/13, मोहल्ला कसाबान नजदीक तेलियापुल हिसार के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 468, 471 120-बी भा0द0स0 तथा 13 (1) C, 13 (2) पी0सी0 एक्ट के अनुसार अभियोग दर्ज करने के आदेश दिये गये है । जो उक्त निर्देशो की पालना में ड्राफ्ट तहरीर मेरे द्वारा तैयार करके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2768/ACB/GGM dated 01.07.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पचंकुला के कार्यालय में प्रेषित की गई थी । आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम हूँ कि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचंकुला के कार्यालय क्रमांक 11572/I-2/ACB(H) dated 06.07.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें उनके कार्यालय द्वारा इस मामले में अभियोग अकिंत किए जाने बारे तहरीर को approved किया गया है । अतः उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अकिंत करने के लिए लेख तैयार करके सिपाही इन्द्रजीत न0 188/फरी0 के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से सुचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियो को भिजवाई जावे । उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार नकल मिशल पुलिस आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक जयचन्द सिह न0 339/रेवाडी ईन्चार्ज उप-केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेवाडी के पास भेजी जाये । SD ईशवर सिह, निरीक्षक ईशवर सिंह, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम । दिनांक 12.7.2023 at- 4:30 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बदस्त सिपाही इन्द्रजीत न0 188/फरी0 के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 जयचन्द के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा सिपाही इन्द्रजीत न0 188/फरी0 के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1)

Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Jai Chand **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 339 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): CHANDER MOHAN

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1982				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)